न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 16 वर्ष 09–10 अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0

मौजा–बेन्दों, परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

राम लखन स्मारक ट्रस्ट बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय 11/11/2010

प्रस्तुत वाद राम लखन स्मारक ट्रस्ट आफिस ग्राम बेन्दो, जरिये मुख्य ट्रस्टी राजपाल सिंह पुत्र राम लखन सिंह निवासी–बेन्दों, परगना अरैल, तहसील करछना इलाहाबाद ने सरकार उ0प्र0 को प्रतिवादी बनाते हुए इस कथन के साथ योजित किया है कि वह आ0सं0 822 रकबा 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 भूमि स्थित मौजा बेन्दौं, परगना अरैल तहसील करछना के संक्रमणीय भूमिधर व काबिज दखील काश्तकार हैं । यह कि उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उसका प्रयोग आवासीय रूप मे किया जा रहा है। अन्त मे याचना किया है कि जाचोपरान्त उक्त भूखण्ड को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाय । साथ मे उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न किया है ।

नियमानुसार प्रकरण की स्थलीय जाच तहसीलदार करछना से करायी गयी । क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी आख्या दिनांक 17.08.10 में उल्लिखित किया है कि प्रकरण की जॉच की गयी। आवेदक ने प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना किया है कि ग्राम बेन्दों की भूमि आ0सं0 822 रकबा 0.930हे0 का 1/2 भाग 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि पर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने की कृपा करें। ग्राम बेन्दो, की खतौनी सन् 1416–1421फ0 के खाता सख्या 38 के आ0सं0 822 रकबा 0.4650हे0 व खाता सं0 007 के आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व खाता स0 664 के आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 पर राम लखन स्मारक ट्रस्ट आफिस ग्राम बैन्दौ, जरिये मुख्य ट्रस्टी राजपाल सिंह पुत्र राम लखन सिह निवासी–बेन्दो, परगना अरैल, तहसील करछना इलाहाबाद के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप मे अकित है । राजस्व निरीक्षक ने स्थलीय जाच मे उक्त भूखण्ड नम्बर 822 रकबा 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 पर शिक्षण कार्य हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उक्त भूमि नम्बर 822 रकबा 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान्‌जी की सेवा मे प्रेषित । तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 11.11.10 में उल्लिखित किया है कि आख्यानुसार आ0सं0 822 रकबा 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 स्थित ग्राम बेन्दौं यथा प्रस्तावित अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित । साथ मे नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है जो सलग्न पत्रावली है ।

मैने पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बेन्दों, की खतौनी सन् 1416–1421फ0 के खाता संख्या 38 के आ0सं0 822 रकबा 0.4650हे0 व खाता सं0 007 के आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व खाता सं0 664 के आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 पर राम लखन स्मारक ट्रस्ट आफिस ग्राम बेन्दों, जरिये मुख्य ट्रस्टी राजपाल सिंह पुत्र राम लखन सिंह निवासी–बेन्दों, परगना अरैल, तहसील करछना इलाहाबाद के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसीलदार करछना की स्थलीय जॉच आख्या से स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नही किया जाता है बल्कि प्रश्नगत भूखण्ड अकृषिक है तथा शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है तथा धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत उक्त भूखण्ड को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसीलदार करछना की आख्या के आधार पर आदेश हुआ कि मौजा बेन्दों, परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आ0सं0 822 रकबा 0.4650हे0 व आ0सं0 819 रकबा 0.2250हे0 व आ0सं0 827 रकबा 1.228हे0 कुल 3 गाटा रकबा 1.9180हे0 को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाय । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय ।

दिनांकः 11. 11. 2010

11/11/2010

(पुष्कर श्रीवास्तव)

उप जिलाधिकारी

करछना, इलाहाबाद ।

ता० प्रार्थना पत्र 12/11/10

तारीख तैयारी 15/11/10

तारीख वितरण 15/11/10

(मोहर) न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना इलाहाबाद

1025

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना इलाहाबाद